भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 260**

दिनांक 03 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए

**महिलाओं के लिए मुआवजा योजना**

**260. श्री प्रद्युत बोरदोलोई :**
**श्री गौरव गोगोई :**
**श्री विनसेंट एच. पाला:**

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार दुर्व्यापार/यौन शोषण और अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं के लिए मुआवजे की कोई योजना लागू कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दुर्व्यापार के पीड़ित को मुआवजा देने में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की अक्षमता के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय की टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए सरकार का उक्त योजना के तहत दुर्व्यापार के पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाने या एक समर्पित कोष बनाने का विचार है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लोगों के बीच पीड़ित मुआवजा योजनाओं को लोकप्रिय बनाने और जागरुकता फैलाने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मानव दुर्व्यापार के शिकार बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई योजना है; और

(ड.) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी** **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) और (ख) : अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 357 में प्रावधान किया गया है कि कोई ट्रायल न्यायालय, निर्णय पारित करते समय, वसूल किए गए जुर्माने के पूरे या किसी भी हिस्से को अन्य बातों के साथ-साथ उन व्यक्तियों जिन्हें दोषी व्यक्ति द्वारा चोट पहुंचाई गई हो, को मुआवजे के भुगतान का आदेश दे सकता है। वर्ष 2009 में, सीआरपीसी में धारा 357क शामिल करने के साथ, भारत की अपराध न्याय प्रणाली में राज्य द्वारा भुगतान किए गए पुनर्वास मुआवजे की अवधारणा की शुरुआत हुई। धारा 357 क को विशेष रूप से पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों को मुआवजा प्रदान करने के लिए शामिल किया गया था। इस प्रावधान ने प्रत्येक राज्य सरकार को "अपराध के परिणाम स्वरूप नुकसान या चोट का सामना करने वाले पीड़ितों या उनके आश्रितों, जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है को मुआवजा प्रदान करने के उद्देश्य से धन उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम तैयार करने के लिए भी अधिदेशित किया है।"

उपर्युक्त वैधानिक निगमन के अनुसरण में, अधिकांश राज्यों ने अपनी-अपनी पीड़ित मुआवजा स्क"में तैयार की हैं। चार परिदृश्यों में सीआरपीसी की धारा 357क के तहत लागू स्कीमों के तहत मुआवजा दिया जा सकता है:

(i) दोषसिद्धि के मामले में, (ii) दोषमुक्ति के मामले में (iii) जब अभियुक्त छोड़ दिया गया हो, और (iv) जब अपराधी का न तो पता लगाया गया हो और न ही उसकी पहचान की गई हो।

पीड़ित मुआवजा की प्रक्रिया दो कार्यविधियों के माध्यम से आगे बढ़ाई जाती है। सबसे पहले, ट्रायल न्यायालय को राज्य सरकार द्वारा तैयार गई स्कीम के तहत दिए जाने वाले मुआवजे की मात्रा तय करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) या राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) जैसा भी मामला हो, को सिफारिश करने का अधिकार है। ट्रायल न्यायालय, सीआरपीसी की धारा 357 के तहत दिए गए मुआवजे को पुनर्वास के लिए पर्याप्त न होने से असंतुष्ट होने के मामले में भी सिफारिश कर सकता है। दूसरे, ऐसे मामलों में जहां अपराधी का न तो पता लगाया जा सका है और न ही उसकी पहचान की जा सी है, लेकिन पीड़ित की पहचान हो गई है, पीड़ित और उसके आश्रित मुआवजे के लिए डीएलएसए या एसएलएसए को आवेदन कर सकते हैं। ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, डीएलएसए या एसएलएसए को एक जांच करनी होगी और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए पर्याप्त मुआवजा देना होगा।

इसके अलावा, रिट याचिका (सी) संख्या 565/2012 (निपुन सक्सेना बनाम भारत संघ और अन्य) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने महिला पीड़ितों/यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों से बचे लोगों के लिए मुआवजा स्कीम तैयार की है। इस स्कीम को सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में परिचालित किया गया था। कई राज्य सरकारों ने अपनी मौजूदा पीड़ित मुआवजा स्कीमों को नालसा (एनएएलएसए) की स्कीम के अनुसार संशोधित किया है। यह स्कीम एक महिला पीड़ित मुआवजा कोष का प्रावधान करती है जो राज्य पीड़ित मुआवजा कोष और केंद्रीय निधि से अलग पीड़ित महिला के लिए संवितरण के लिए एक अलग निधि है। केंद्रीय निधि का अर्थ है केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि (सीवीसीएफ) स्कीम, 2015 से प्राप्त अंशदान। केंद्र सरकार ने केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष (सीवीसीएफ) के तहत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को "निर्भया कोष" के तहत उनके संबंधित पीड़ित मुआवजा कोष के पूरक के लिए एक मुश्त 200 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्रदान किया है। विभिन्न राज्यों की स्कीमों के अनुसार मुआवजा प्रदान करने और संवितरित करने की विधि अलग-अलग है। जबकि एलएसए की ज्यादातर मुआवजे के निर्धारण में सक्रिय भूमिका होती है, दिए गए मुआवजे का वास्तविक संवितरण राज्य सरकारों द्वारा रखे और जारी किए गए निधियों पर निर्भर करता है।

(ग) : विभिन्न स्कीमों के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए केंद्र सरकार जागरूकता अभियान, मीडिया अभियान और आउटरीच कार्यक्रम भी चलाती है और समय-समय पर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को एडवाइजरी जारी करती है।

(घ) और (ङ) : नालसा ने "नालसा (पीड़ितों के दुर्व्यापार और वाणिज्यिक यौन शोषण)" स्कीम,2015 नाम से एक स्कीम तैयार की है। इस स्कीम का उद्देश्य सभी आयु समूहों और हर स्तर पर दुर्व्यापार के शिकार लोगों की समस्याएं: यानी रोकथाम, बचाव और पुनर्वास का समाधान करने के लिए कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। यह स्कीम अपने दायरे में बच्चों, किशोरियों और सभी उम्र की महिलाओं को शामिल करती है।

इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दुर्व्यापार की रोकथाम, दुर्व्यापार और वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास, पुनर्एकीकरण और प्रत्यावर्तन के लिए 'मिशन शक्ति' की 'समर्थ्य' उप-योजना के तहत एक घटक 'शक्ति सदन' का कार्यान्वयन करता है। मंत्रालय 'मिशन वात्सल्य' के तहत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता के लिए बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) को चलाने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सहायता भी करता है।

*****